बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

संचिका संख्या समकस आई०सी०डी०एस०–स०क०–84/07 2019 दिनांक 8/8/11

प्रेषक,

दिनेश सिंह विष्ट,
निदेशक,

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण।

विषय :- अतिरिक्त एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों चयन का कार्य पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:- सचिव, समाज कल्याण विभाग का ज्ञापांक 2922 दिनांक 02.08.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रांक के संबंध में कहना है आपके जिला अंतर्गत निदेशालय के पत्रांक 805 दिनांक 11.03.10 द्वारा ......187 अतिरिक्त तथा ......529 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी।

निदेशालय के पत्रांक 1709 दिनांक 25.05.10 एवं 1683 दिनांक 06.07.11 द्वारा अतिरिक्त एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों के पोषक क्षेत्रों का सीमांकन कर उसमें सम्मिलित होने वाले लाभुकों की मैपिंग कराकर उसकी एक सॉफ्ट कॉपी निदेशालय में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परंतु खेद है कि अब तक आपके द्वारा उक्त आदेश अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

निदेशालय के पत्रांक 1901 दिनांक 28.07.11 द्वारा आपके जिला अंतर्गत स्वीकृत केन्द्रो के विरूद्ध क्रियाशील केन्द्रों की संख्या की अद्यतन स्थिति के संबंध में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। लेकिन इस दिशा में अबतक आपके स्तर से कोई कार्रवाई नही की गई है। सचिव, समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 2922 दिनांक 02.08.11 द्वारा चयन कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

अतः अंतिम रूप से स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करते हुए अपने जिलान्तर्गत सभी रिक्त/अतिरिक्त एवं मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन कार्य माह सितंबर 2011 के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्य में कोताही बरतने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के आरोप में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नक: स्वीकृत अतिरिक्त एवं मिनी
आँगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

1053
12/8/11

68
14/09/11

विश्वासभाजन

(दिनेश सिंह विष्ट)
निदेशक

पूर्वी चंपारण जिले के स्वीकृत अतिरिक्त / मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र0 सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्र	अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र	स्वीकृत मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र	कुल स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र
1	पूर्वी चंपारण	तुरकौलिया	139	0	18	157
2		आदापुर	156	6	32	194
3		अरेराज	133	17	10	160
4		चकिया	170	2	24	196
5		चिरैया	211	2	32	245
6		ढाका	245	47	32	324
7		घोड़ासहन	135	9	16	160
8		हरसिद्धि	170	0	21	191
9		कल्याणपुर	216	35	29	280
10		केसरिया	148	13	18	179
11		मधुबन	123	0	13	136
12		मेहसी	132	0	18	150
13		नरकटिया (छोड़ादानो)	130	0	19	149
14		पहाड़पुर	140	0	21	161
15		पकड़ीदयाल	111	0	12	123
16		पताही	125	0	13	138
17		रामगढ़वा	157	0	22	179
18		रक्सौल	173	10	34	217
19		सुगौली	176	0	27	203
20		बनजरिया	122	17	20	159
21		बनकटवा	90	0	8	98
22		मोतिहारी सदर	73	15	7	95
23		मोतिहारी ग्रामीण	182	0	24	206
24		संग्रामपुर	117	0	18	135
25		कोटवा	128	0	20	148
26		पीपराकोठी	58	14	6	78
27		फेनहरा	58	0	7	65
28		तेतरिया	78	0	8	86
कुल योग			3896	187	529	4612

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
हमारा बिहार
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2539707 फैक्स:+91-612-2535900 website: www.socialwelfare.bih.nic.in

संचिका सं0 :– आई.सी.डी.एस./40020/01-2012/...3792 दिनांक:– 19/10/2012

प्रेषक,

प्रवीण किशोर, भा.प्र.से.
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय – ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर वार्ड आधारित परिसीमन के उपरांत ऑगनवाड़ी सेविकाओ/सहायिकाओं के चयन के संबंध में।

प्रसंग – समाज कल्याण विभाग का आदेश – आई.सी.डी.एस./40020/1–2012/3609 दिनांक 09.10.2012

महाशय,

उपर्युक्त आदेश द्वारा दिनांक 15.10.2012 से राज्य के सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों का परिसीमन पंचायत वार्ड के आधार पर लागू कर दिया गया है। तदनुसार ऑगन्बाड़ी केन्द्रों हेतु सेविकाओं एवं सहायिकाओं का चयन वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार ही किया जाना है।

2. कतिपय जिलों से इस संबंध में यह मार्गदर्शन माँगा गया है कि जिन ऑगनवाड़ी केन्द्रों हेतु सेविकाओं अथवा सहायिकाओं के चयन हेतु पूर्व से चयन प्रकिया चल रही है उन मामलो में क्या चयन प्रकिया रद्द कर पुनः वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार चयन प्रकिया शुरु की जाय।

3. इस विषय में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऑगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चयन प्रकिया में ऐसे सभी मामलो, जिनमें दिनांक 15.10.2012 तक चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका 8.14 के अनुसार सर्वाधिक मेधा वाले अभ्यार्थी के चयन की घोषणा होने के बाद आम सभा सम्पूर्ण हो गयी हो, में इस प्रकिया को चयन पत्र निर्गत करते हुए सम्पूर्ण किया जायेगा। अन्य सभी मामलो, जिनमें चयन विभिन्न चरणों में प्रकियाधीन है, में चयन की कार्रवाई रद्द करते हुए वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार पुनः चयन प्रकिया की जायेगी। इसके साथ ही ऐसे मामले, जिसमें 15.10.2012 को प्रकियाधीन चयन वार्ड आधारित परिसीमन के अनुसार ही प्रारंभ किया गया है, को आगे बढ़ाते हुए चयन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

4. उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि ऑगनवाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन यथाशीध्र सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
(प्रवीण किशोर)
निदेशक

ज्ञापांक :– आई.सी.डी.एस./40020/01-2012/...3792 दिनांक:– 19/10/2012
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
19/10/12
निदेशक

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका संख्या :–ICDS/30010/1-2011/.............. दिनांक:–.............................

प्रेषक,

संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0
सचिव
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :– **सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन।**

महाशय,

सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं:–

1 **मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 5 की उप–कंडिका 5.2 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है:–**

5.2 इन्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिये जायेंगे तथा स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेंगे।

2. **मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 4 की उपकंडिका 4.8 के बाद कंडिका 4.8(A) तथा कंडिका 4.12 में 4.12(v) जोड़ी जाती है:–**

4.8(A) जनप्रतिनिधि (जैसे– मुखिया, वार्ड सदस्य, सदस्य–पंचायत समिति, पंच, सरपंच, प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड कमिश्नर इत्यादि) सेविका/सहायिका पद के लिए अयोग्य होंगी।

4.12(V) ऐसी महिलाएं जो पहले से किसी सरकारी/अर्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, वे सेविका/सहायिका के पद पर चयन के लिए अयोग्य होंगी।

ये सारे संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त संशोधन के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संदीप पौण्डरीक)
सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :– ICDS/30010/1-2011/...1528.. दिनांक :–27/04/2012

प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/4/12
सचिव
समाज कल्याण विभाग

Suman

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका सं0 :–आई0सी0डी0एस0 / 30020 / 02–2011 3027 दिनांक 22/11/11

प्रेषक,

संदीप पौण्डरीक,
सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

विषय :– नई मार्गदर्शिका–2011 के आलोक में आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का चयन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के ज्ञापांक आई0सी0डी0एस0 / 20010 / 1–2011 / 2862 दिनांक 04.11.11 द्वारा नई विभागीय मार्गदर्शिका–2011 निर्गत की गई है तथा निर्गत की तिथि से मार्गदर्शिका–2011 लागू है। कतिपय ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मार्गदर्शन की मांग की जा रही है कि जिन जगहों पर चयन की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है, क्या वहाँ चयन की प्रक्रिया 2011 की मार्गदर्शिका के आलोक में पुनः आरंभ की जाय?

350
16.2.12

2. इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि जिन केन्द्रों पर 04.11.11 तक चयन हेतु मेधा सूची के finalization के बाद आम सभा कर ली गयी है, उन केन्द्रों पर पूर्व की चयन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका 2010) के अनुसार चयन final किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी cases में जहाँ चयन प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है, वहाँ पुनः नये सिरे से विज्ञापन निकालकर सेविका / सहायिका का चयन मार्गदर्शिका–2011 के आलोक में किया जायेगा। नए विज्ञापनोपरांत प्राप्त नए आवेदनों को पुराने प्राप्त सभी आवेदनों के साथ मिलाकर ही मार्गदर्शिका–2011 के आलोक में चयन की कार्यवाई की जाएगी।

3. इस प्रक्रिया में किसी दुविधा / स्पष्टीकरण के लिए आई.सी.डी.एस. निदेशालय से संपर्क किया जाय।

विश्वासभाजन

21/11/11

(संदीप पौण्डरीक)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग

Principal secretary